11/8/26 श्रीमान् पेशकार वकील प्रार्थीगण की ओर से श्री
मुकेश मीना एड. ने उप योग पत्र प्रारम्भिक पर
एवं वाद संस्थ प्रार्थनापत्र धारा 5 परिसीमा की सुनी गई
वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र धारा 5 परिसीमा
प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का इस
आधार का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण का प्रकरण
दिनांक 11-07-2017 को माननीय न्यायालय द्वारा
खारिज अदम पैरवी अदम हाजरी में कर दिया
गया था दिनांक 11/07/2017 को प्रार्थीगण के
अधिवक्ता अन्य व्यापारियों में व्याप्त रहे वस्तुमाण
प्रकरण पर अवरोध लगाने पर हाजिर नहीं हो सके
अधिवक्ता न्यायालय में उप० डमे तब प्रकरण अदम
हाजरी में खारिज करा दिया गया प्रकरण
प्रार्थीगण के अधिकारों से सम्बन्धित है ऐसी
स्थिति में उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया
जाकर प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण कराया
जाना आवश्यक है। कुछ दिनों पूर्व से प्रार्थीगण अपने
अधिवक्ता से मिले तब अधिवक्ता ने अदम पैरवी
अदम हाजरी में खारिज होने की जानकारी दी जब
नकल देखी दिनांक 29-1-2025 को प्राप्त हुई है
यदि तो धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत
देरी क्षमा किया जाना आवश्यक है जिसके अलावा
से दफा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र
पेश किया है कि देरी की क्षमा कर प्रार्थनापत्र अदम
मियाद सुमार किया जावे।
हमने कार्यालय पर उपलब्ध कागजात
का अवलोकन किया वकील प्रार्थी को बहस पर गौर
मनन किया इस उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थीगण
का प्रार्थनापत्र कारकारी एवं दफा-5 परिसीमा मियाद
विधान के योग्य है। अतः कारकारी प्रार्थनापत्र दफा-5 का
कानून मियाद स्वीकार किया जाकर देरी का क्षमा किये
स्वीकार किया जाता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार होकर मूल
मूल प्रकरण रहे।

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)